882

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 233 दिनांकः– 24.3.17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, रांची।

विषय :– टोरी–शिवपुर न्यू बी0जी0 सिंगल रेलवे लाईन निर्माण हेतु अवशेष 19.85 हे0 (15.89 हे0 लातेहार, वन प्रमंडल एवं 3.96 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :–
1. वन विभागीय ज्ञापांक 54 व0प0 दिनांक 06.01.2017
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर का पत्रांक 135 दिनांक 24.01.2017 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 596 दिनांक 08.03.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र–1 के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयगत वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्र संख्या– FP/JH/RAIL/16617/2015/946 दिनांक– 16.12.2016 द्वारा पृच्छित वांछित बिन्दुओं का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर एवं हजारीबाग के प्रासंगिक पत्र–2 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों के प्रतिवेदनानुसार अनुपालन निम्नवत् है :–

क्र0सं0	शर्तें	अनुपालन
1	FRA Certificate of Latehar Forest Division.	वन विभागीय ज्ञापांक 4021 दिनांक 24.08.2016 के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 915 दिनांक 22.09.2016 द्वारा वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् उपायुक्त, लातेहार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही की तीन प्रति में प्रेषित है।
2	Complete list of tree enumeration (species wise & girth wise) along with no of trees proposed for felling in both Forest Division.	प्रस्ताव में लातेहार वन प्रमण्डल अन्तर्गत अपयोजित होने वाली वन भूमि 15.89 हे0 (15.86 हे0 अधिसूचित वन भूमि एवं 0.03 हे0 जंगल–झाडी) भूमि पर कोई वृक्ष अवस्थित नहीं है। वृक्षों की गणना शून्य है। चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अन्तर्गत अपयोजित होने वाली 3.96हे0 वन भूमि पर अवस्थित वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।
3	Geo-referenced map in the shape file format of the proposed CA land in Chatra FD.	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अन्तर्गत प्रस्तावित क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वन भूमि का Geo-reference Map संलग्न है।
4	Part-II duly signed by the DFO, Latehar FD in the Ministry's prescribed format.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा पार्ट–II ऑन लाईन कर दिया गया है एवं हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(381)

5	It has been reported that Soil feeling and leveling work has already been done in GMJJ (3.75 ha) land under Chatra FD. And 0.011 ha. Under Latehar FD. Without prior approval from Central Government. This fact has not been mentioned in part-II of Chatra FD., Which may be rectified/Confirmed.	, लातेहार वन प्रमण्डल अन्तर्गत 0.011 हे0 वन भूमि पर रेलवे लाईन निर्माण के दौरान वन संरक्षण अधिनियम के विरूद्ध किये गये उल्लघंन का उल्लेख वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा पार्ट–II में किया गया है। चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अन्तर्गत प्रस्तावित रेलवे लाईन निर्माण में बिना अनुमति के गैरमजरूआ जंगल–झाडी में किये गये कार्य के दौरान वन संरक्षण अधिनियम के विरूद्ध उल्लघंन को वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा संशोधित (Rectified) करते हुए उल्लेख पार्ट–II में अंकित कर संलग्न किया गया है।
6	Geo-referenced map in the shape file format of the already approved forest land (197.933 ha) vide Ministry's letter No.8-72/2008-FC dated 19.06.2013.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार एवं चतरा दक्षिणी द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्व में प्रस्तावित 197.933 हे वन भूमि का Geo-referenced map in shape file का मांग प्रयोक्ता अभिकरण से किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराने हेतु 15 दिनों का समय लिया गया है। प्राप्त होते ही अलग से भेज दी जायेगी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त है।

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार एवं चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर पृच्छित वांछित अनुपालन प्रतिवेदन की तीन–तीन प्रतियों में संलग्न करते हुए अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक .... **दिनांक** ....

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को अनुपालन प्रतिवेदन की एक प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 233 **दिनांक** 24.3.17

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/पलामू मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि वांछित पृच्छा संख्या–6 के क्रम में अनुपालन प्रतिवेदन तथा पृच्छा संख्या–1 के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में FRA के तहत् से संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

24/3/17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक :– 581 दिनांक :– 14.7.17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् टोरी–शिवपुर न्यू बी0जी0 सिंगल रेलवे लाईन निर्माण हेतु कुल अवशेष 19.85 हे0 (15.89 हे0 लातेहार वन प्रमण्डल अन्तर्गत एवं 3.96 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अन्तर्गत) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **भवदीय का पत्रांक 1546 दिनांक 10.04.2017**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्र संख्या PF/JH/RAIL/16617/2015/946 दिनांक 16.12.2016 द्वारा पृच्छित बिन्दु संख्या –6 "Geo-referenced map in the shape file format of the already approved forest land (197.933 ha) vide ministry's letter no. 8-72/2008-FC dated 19.06.2013" का अनुपालन प्रतिवेदन के आलोक में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर के पत्रांक 820 दिनांक 29.06.2017 तथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 1743 दिनांक 27.06.2017 एवं पत्रांक 1813 दिनांक 06.07.2017 (छायाप्रति अनुलग्नक सहित संलग्न) द्वारा छः–छः प्रतियों में प्राप्त हुआ है।

अतः प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन में प्रस्तावित वन भूमि का Geo-referenced map in shape file में Soft copy (सी0डी0) एवं Hard copy (मानचित्र सीट समेकित कर) ~~की~~ चार–चार प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। इस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0 यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक – दिनांक –

प्रतिलिपि – प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक 170 दिनांक 16.01.17 एवं पत्रांक 705 दिनांक 15.02.17 के आलोक में प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की Soft copy (सी0डी0) एवं Hard copy की एक–एक प्रति में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक – 581 दिनांक – 14.7.17

प्रतिलिपि – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर/ हजारीबाग /उप मुख्य अभियंता (निर्माण), 3, पूर्व मध्य रेलवे, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर को उनके प्रासंगिक पत्र एवं इस कार्यालय के पत्रांक 560 दिनांक 07.07.17 के संदर्भ में कहना है कि मानचित्र सीट सं0 1,2,3,4,5,6,7,एवं 17 प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

14/7/17
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

13.07

F:\Amit\RAILWAY\tori-shiwpur new railway condision no 6.docx dt 12.07.17